

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

खीरी, शामली, बहराइच, संत कबीरनगर, मीरजापुर एवं फैजाबाद ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 61,75,200/- (रुपये इकसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम/पत्र संख्या व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	खीरी, पत्रांक-13, 143, दिनांक 19.12.2016 एवं 28.12.2016	5.459
2	शामली, पत्रांक-1168, दिनांक 02.01.2017	0.15
3	बहराइच, पत्रांक-329, 340, दिनांक 03.01.2017 एवं 12.01.2017	6.80400
4	संत कबीरनगर, पत्रांक-780, दिनांक 10.01.2017	31.118

5	मीरजापुर, पत्रांक-2520, दिनांक 17.01.2017	0.22100
6	फैजाबाद, पत्रांक-1614, दिनांक 22.12.2016	18.00
	कुल योग रू०	61.75200
	(रुपये इकसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ मात्र)	

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/डाफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 108(1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।

- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
उप सचिव ।